अध्याय दस

सामान्य प्रशासन

सीतापुर, लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत आता है जो उन ग्यारह प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है, जिनमें उत्तर प्रदेश के राज्य को विभाजित किया गया है। इस मण्डल का कार्यभार एक आयुक्त के अधीन है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। वह अपने अधीन रखे गये जिलों और सरकार के बीच एक कड़ी है बल्कि एक आधिकारिक माध्यम है, जिसके द्वारा शासकीय कार्य किया जाता है और वह अपने प्रभाराधीन जिलों के समुचित प्रशासन और नियोजित विकास के लिए उत्तरदायी है।

जिले के उप-प्रभाग:—सामान्य और राजस्व प्रशासन के प्रयोजनों से जिले को चार तहसीलों—सीतापुर, बिसवां, सिधौली और मिसरिख में विभाजित किया गया है। सीतापुर तहसील जिले के उत्तर में स्थित है और पांच परगनों—सीतापुर, रामकोट, खैराबाद, हरगांव तथा लहरपुर से मिल कर बनी है। बिसवां तहसील पूर्व में स्थित है, और इसमें तीन परगने—बिसवां, तम्बौर, और कुंडरी उत्तर हैं। मिसरिख तहसील पश्चिम में स्थित है, इसमें मिसरिख महोली, चन्द्रा, औरंगाबाद, कोरौना, मछरेहटा, गोंडलामऊ के परगने हैं। जिले के दक्षिण-पूर्व में सिधौली तहसील है, जिसमें बाड़ी, मनवां, महमूदाबाद, सदरपुर, कुंडरी दक्षिण तथा पीरनगर के परगने हैं।

जिला कर्मचारिवर्ग:—जिला राज्य में प्रशासन की मूल इकाई (Basic unit) होता है जो एक जिला अधिकारी के प्रभार में रहता है, जिसका पद सबसे महत्वपूर्ण है और वह जिले की प्रशासनिक मशीनरी की धुरी है। सीतापुर में, जैसा कि शेष अवध में है, उसका पदनाम उप-आयुक्त रखा गया है (अनियंत्रित प्रान्तों की पद्धति की तरह, यद्यपि अब नियंत्रित तथा अनियंत्रित का भेदभाव विद्यमान नहीं है)। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, वह उन कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का प्रयोग करता है जो दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) तथा बहुत से विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत एक जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त हैं। जहां तक शान्ति और व्यवस्था की स्थापना का संबंध है वह जिले में सबसे बड़ा प्राधिकारी होता है। कलक्टर के रूप में उसका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य सरकारी राजस्व और भू-राजस्व के अन्य वसूली योग्य देयों की वसूली करना है। कलक्टर की हैसियत से उपायुक्त का इसी के समान ही एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भूमि-अभिलेखों का रख-रखाव करना और प्राकृतिक आपदाओं—जैसे सूखा, बाढ़ आदि के समय ग्रामीण जनता की सहायता करना है।

उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) के अधिकार में पूरा राजस्व कर्मचारिवर्ग होता है तथा उसे पुलिस का भी सहयोग बराबर प्राप्त रहता है और इस प्रकार उसकी स्थिति एक बहुत बड़े प्राधिकारी की होती है। वह जिले में नियोजन और विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है, इस संबंध में उसका मुख्य कार्य विभिन्न राष्ट्रीय निर्माण विभागों के कार्यकलाप में समन्वय स्थापित करना है।

उपायुक्त के अधीन चार परगना अधिकारी (Sub-divisional officer) हैं, जिनमें से प्रत्येक के प्रभार में एक परगना है (जो यहां पर एक तहसील का सह-विस्तारी है) और वह उनकी सहायता से जिले का प्रशासन चलाता है। प्रत्येक तहसील (जो एक स्थानिक तहसीलदार के प्रभार में है और उसकी सहायता एक नायब तहसीलदार करता है) परगनों में विभाजित है और प्रत्येक परगना लेखपाल हलकों में विभाजित है। जिले की चारों तहसीलें अट्ठारह कानूनगो हलकों में विभाजित हैं—चार हलके सीतापुर तहसील में और चार हलके सिधौली तहसील में हैं तथा बिसवां और मिसरिख तहसीलों में से प्रत्येक में पांच-पांच हलके हैं और जिले में 406 लेखपाल हलके हैं। कानूनगो हलका, जिसमें एक परगने का भाग अथवा कभी-कभी एक से अधिक परगनों के भाग होते हैं, का प्रभार एक कानूनगो के पास होता है और लेखपाल हलके का प्रभार लेखपाल (पटवारी) के पास होता है। परगना अधिकारी अपने परगने में सहायक कलक्टर और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट दोनों ही के अधिकारों का प्रयोग करता है। परगनों और लेखपाल हलकों के जो इससे आगे उप-विभाग किये गये हैं केवल राजस्व प्रशासन के प्रयोजनार्थ किये गये हैं। दांडिक न्याय (Criminal Justice) से संबंधित मजिस्ट्रेट के कार्य के लिए, परगना मजिस्ट्रेटों तथा न्यायिक अधिकारियों के अलावा तीन अवैतनिक विशेष मजिस्ट्रेट भी हैं, जिनके पास प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं। पहले के अवैतनिक मजिस्ट्रेटों (जिनके पास व्यक्तिगत रूप से तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार थे और न्यायपीठ पर आसीन होने पर द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार थे) की खैराबाद, मिसरिख और बिसवां स्थित न्यायपीठें (Benches) क्रमशः 1952, 1953 और 1956 में भंग कर दी गई थीं। सीतापुर में न्यायपीठ मजिस्ट्रेटों (जिनके पास प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार थे) के न्यायालयों को 1958 में भंग कर दिया गया था, किन्तु वर्ष 1959 में उन्हें पुनः स्थापित कर दिया गया और उन्हें द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान कर दिये गये। 1959 में महमूदाबाद नगर क्षेत्र (Town Area) में एक और न्यायपीठ की स्थापना की गयी, जिसके पास